तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16/1/25	पत्रावली पेश हुई। आज PO साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 20/1/25 ....को पेश हो।
20/1/25	पत्रावली पेश हुई व इजलास कोर्ट हाजा उपरान्त पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन मनन किया गया। अपील अपीलार्थी बाबत निरस्त नामान्तरकरण सं. 893 दिनांक 02/07/19 ग्राम कांटोली, ग्राम पंचायत मोहम्मदगढ़, तहसील निवाई को निरस्त किये जाकर, तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि हल्का पटवारी से विवादित खसरा नं. 35 ग्राम [illegible] विधि अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली को आवश्यक-पूर्ति बाद नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया आर.ए.एस.)

प्रकरण (अपील)सं0 ––24 / 2023
प्रविष्टि दिनांक ––16.8.2023

1. औंकार दत्तक पुत्र बिरधा जाति बैरवा निवासी कांटोली तहसील निवाई जिला टोंक

–अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत नोहटा, तहसील निवाई जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित– श्री कौशल किशोर जाट – अभिभाषक, अपीलान्ट
श्री बनवारी लाल यादव–अभिभाषक प्रतिपक्षी सं0 1

अपील–विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 893, दिनांक 2.7.2019 ग्राम पंचायत नोहटा

निर्णय

दिनांक 20/1/25

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी के परिवार का शजरा निम्न प्रकार है।

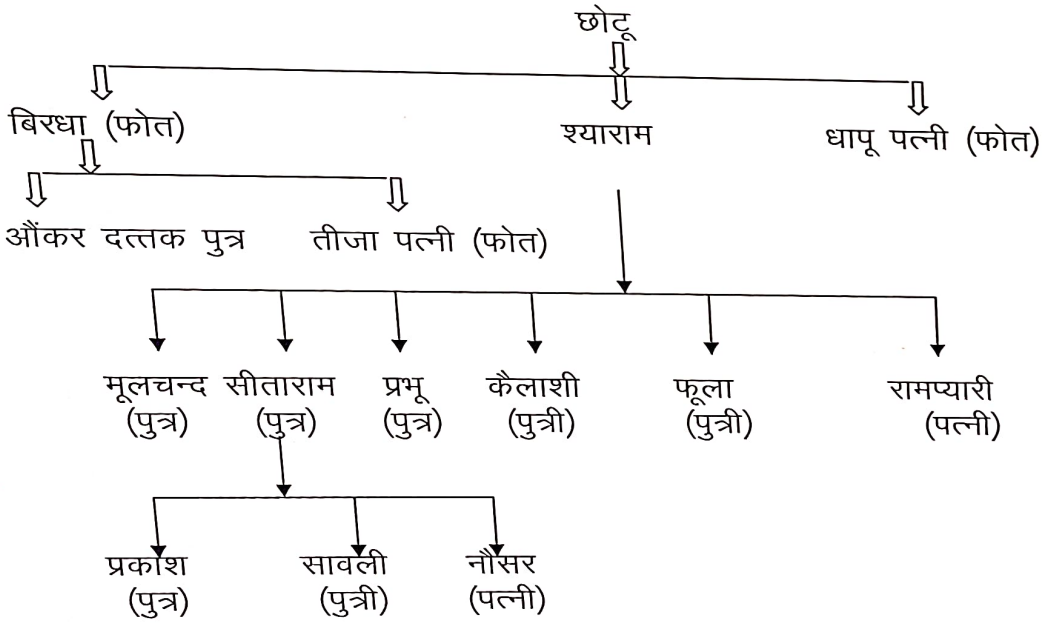

अपीलार्थी की आराजी भूमि खाता सं0 124 खसरा नंबर 394 , 395, 396, 397, कुल किता–4 कुल रकबा 1.4290 है0 तथा खाता सं0 44 मे खसरा नंबर 208, कुल किता–1 कुल रकबा 0.3035 है0, खाता सं0 135 मे खसरा नंबर 65, 67, कुल किता–2 कुल रकबा 0.4552 है0 तथा खाता सं0 132 मे खसरा नंबर 159, 162, 17, 177, 182, 187, 188, 207, 23, 4, 25, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 398, 399, 401, 402, 59, 6, 60, 61, कुल किता–28 कुल रकबा 19.3869 है0 भूमि मृतक बीरधा पुत्र छोटू का जमाबंदी अनुसार हक व हिस्सा है। मृतक के कोई जाईन्दा संतान नही होने के कारण मृतक ने अपनी पत्नी तीजा देवी के साथ अपने जीवनकाल मे अपीलार्थी को गोद ले लिया था। उस समय अपीलार्थी की आयु 5 वर्ष थी। गोद पत्र दिनांक 19.12.2008 को तहरीर किया गया

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

था। इस प्रकार अपीलार्थी विरधा का गोद पुत्र है। अपीलार्थी दत्तक पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड मे होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दाखिल खारिज किया गया लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा राजनैतिक द्वेषता के चलते नामान्तरकरण को बिना जांच के ही खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी के दादा छोटू के दो पुत्र हुए थे जिसमे से एक वीरधा व दूसरे का नाम श्योराम था। मृतक वीरधा के कोई जायन्दा संतान नही हुई थी। अपीलार्थी उनका गोद पुत्र है अपीलार्थी की दत्तक माता का भी देहान्त हो चुका है। अपीलार्थी व अपीलार्थी के जाईन्दा पिता श्योराम के वारिसान के मध्य दिनांक 10.2.2022 को सहमति तहरीर हुई जिसमे मृतक वीरधा के हिस्से की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थी जो कि मृतक का गोद पुत्र है, के नाम खोला जावे। नामान्तरकरण का आवेदन करते समय सहवन से अपीलार्थी को मृतक विरधा को दत्तक पिता नही बताकर औंकार पुत्र विरधा अंकित कर दिया जिसकी जांच पडताल किये बिना ही ग्राम पंचायत द्वारा उक्त संबध मे भरा गया नामान्तरकरण सं0 893 दिनांक 2.7.2019 को खारिज कर दिया गया। अतः उक्त नामान्तरकरण सं0 893 दिनांक 2.7.2019 ग्राम पंचायत नोहटा को अपास्त किया जाकर उक्त सम्पूर्ण आराजी मृतक विरधा के असली वारिसन औंकार दत्तक पुत्र विरधा के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।

इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया।

अपीलान्टस द्वारा प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार अपीलान्ट लोग काश्तकार है जो राजस्व रिकार्ड व कानून से अनभिज्ञ है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को नही थी अतः अपील को सुना जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नकल नामान्तरकरण सं0 893 ग्राम पंचायत नोहटा, जमाबंदी चालू, मृत्यु प्रमाण पत्र, गोद पत्र, सजरा, सहमति पत्र आदि प्रस्तुत किये, जो शामिल पत्रावली है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलव किया गया।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा जवाव प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकितानुसार अपीलार्थी को पटवारी हल्का से रिपोर्ट वनवाकर पेश करनी चाहिए थी और ना ही अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। अपीलार्थी ने भूमि मे अपना हिस्सा भी अंकित नही किया गया तथा अपीलार्थी को कोई रजिस्टर्ड गोद पत्र नही था। जांच करने पर अपीलार्थी औंकार विरधा का पुत्र नही पाया गया और ना ही दत्तक पुत्र पाया गया। अपीलार्थी ने तथ्य छिपाकर पटवारी से छल पूर्वक नामान्तरकरण भरवाया है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा खारिज किया गया है जो सही है। अपील खारिज की जावे।

प्रकरण मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्र अन्तर्गत दफा 5 मियाद न्याय हित मे स्वीकार किया गया।

प्रकरण मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा लिखित वहस प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने वहस के दौरान अपने अपने कथनो को दोहराया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एंव वहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का मनन किया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध विवादित नामान्तरकरण सं0 893 का अवलोकन किया गया चूंकि नामान्तरकरण विरासत का है जिस पर नियमानुसार विरासत मे वारिसान दर्ज करते समय मृतक के विधिक वारिसान का प्रमाणित सजरा अंकित होना आवश्यक है लेकिन उक्त नामान्तरकरण पर मृतक का कोई सजरा अंकित नही है जो प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण है। अपील मे अंकित तथ्य कि अपीलार्थी वीरधा का गोद पुत्र है जिसके संवध मे ग्राम पंचायत नोहटा द्वारा दिनांक 22.2.2022 को सजरा जारी किया गया है जिसमे औंकार को विरधा के गोद जाने का तथ्य है और मृतक विरधा का शजरे मे औंकार को वारिस अंकित किया गया है। यह अंकन भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त खारिज किये गये नामान्तरकरण पर संदेह उत्पन्न करता है क्योकि एक ही संस्था द्वारा अलग अलग तथ्य अंकित किये गये है एक मे गोद पुत्र स्वीकार किया गया है एक मे गोद पुत्र स्वीकार नही किया गया है, इसके अतिरिक्त पत्रावली पर एक सहमति पत्र भी उपलब्ध है जिसके अनुसार औंकार विरधा का दत्तक पुत्र अंकित है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपने जवाब मे अंकित किया है कि अपीलार्थी को पटवारी की रिपोर्ट पेश करनी चाहिए थी और ना ही अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। अपीलार्थी ने भूमि मे अपना हिस्सा भी अंकित नही किया गया तथा अपीलार्थी को कोई रजिस्टर्ड गोद पत्र नही था। जांच करने पर अपीलार्थी औंकार विरधा का दत्तक पुत्र नही पाया गया। उक्त सभी तथ्य किसी नामान्तरकरण को खारिज करने के आधार नही हो सकते है और इनके आधार

उपखण्ड अधिकारी

पर कोई नामान्तरकरण खारिज किया जाना उचित है अपितु पुनः जांच के लिए लौटाया जा सकता था। हां यह तथ्य स्वीकार है कि अपीलार्थी का रजिस्टर्ड गोद पत्र नही है, लेकिन इस तथ्य की जांच भी आवश्यक थी और जांच के उपरान्त ही उक्त तथ्य पर निर्णय लिया जाना था। मृतक की विरासत का नामान्तरकरण भरते समय उसके विधिक वारिसानो की जांच का दायित्व ग्राम पंचायत पर है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अपने कर्तव्य भलीभूत सम्पादित नही किया गया और तीव्रता से नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, सहमति पत्र तथाकथित गोद पत्र को नजर अन्दाज नही किया जा सकता है, अपितु प्रथम दृष्टया ही इन्हे साक्ष्य के रूप मे ग्रहण भी नही किया जा सकता है लेकिन इन दस्तावेजो की गहनता से जांच की जा सकती है जिसका अवसर अपीलार्थी को दिया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ही ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण खारिज किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः यह न्यायलय अपीलान्टस की अपील स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

अतः अपील, अपीलार्थी बाबत विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 893 दिनांक 2.07.2019 ग्राम कांटोली, ग्राम पंचायत नोहटा, तहसील निवाई को निरस्त किया जाकर, तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि मृतक बीरधा के विधिक वारिसानो की पुनः जांच कर, विधि अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करे।

निर्णय आज **दिनांक** 20/1/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई